पंजाब केसरी
WED,25 MARCH 2026
EDITION: HIMACHAL , PAGE NO. 5

शिक्षा बोर्ड ने खोला फीस पोर्टल, 30 अप्रैल तक बिना जुर्माने के जमा करें बकाया फीस

■ 1 मई से लगेगा जुर्माना

धर्मशाला, 24 मार्च (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में बैठने वाले उन छात्रों की बकाया 'शॉर्ट कैंडिडेट' फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन लिंक खोल दिया है, जिनकी फीस अभी तक बोर्ड के पास जमा नहीं हो पाई है।

सभी स्कूलों को उनकी स्कूल लॉगइन आई.डी. पर यह लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है, ताकि वे समय रहते फीस जमा कर सकें। स्कूलों के पास 30 अप्रैल 2026 तक का समय है कि वे बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने (लेट फीस) के यह बकाया राशि जमा करवा दें। यदि स्कूल इस समय सीमा के भीतर फीस जमा नहीं करते हैं तो 1 मई से जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा।

1 मई से 15 मई के बीच फीस जमा करने पर 1,000 रुपए प्रति कक्षा और 16 मई से 31 मई के बीच जमा करने पर 2,000 रुपए प्रति कक्षा अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। बोर्ड ने सख्त चेतावनी दी है कि 31 मई के बाद भी लापरवाही बरतने वाले संस्थानों को 5,000 रुपए प्रति कक्षा का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

इसके साथ ही निर्धारित समय के बाद फीस जमा करने पर बोर्ड के सक्षम अधिकारी कठोर प्रशासनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि छात्रों या स्कूल पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

स्कूलों के पास 30 अप्रैल तक बिना किसी जुर्माने के बकाया फीस जमा करने का सुनहरा मौका है। सभी स्कूल अपनी लॉगइन आई.डी. चेक करें और इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।यदि 30 अप्रैल के बाद फीस जमा की जाती है तो संस्थानों को विलंब शुल्क देना होगा। हम चाहते हैं कि स्कूल प्रबंधन समय रहते अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि उन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

–डॉ. राजेश शर्मा, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड

Dainik Bhaskar 25-03-2026

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने खोला शॉर्ट फीस पोर्टल, लापरवाही पर देना होगा ₹5000 तक जुर्माना

भास्कर न्यूज | धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों की बकाया 'शॉर्ट कैंडिडेट' फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड प्रशासन ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर स्कूल लॉगिन आईडी पर लिंक सक्रिय कर दिया है।

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि फीस जमा करने में किसी भी प्रकार की कोताही संस्थानों के लिए आर्थिक रूप से भारी पड़ सकती है। बोर्ड का यह निर्णय परीक्षा संचालन में वित्तीय पारदर्शिता लाने और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के उद्देश्य से लिया गया है। शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक, शिक्षण संस्थानों के पास 30 अप्रैल तक का समय है जब वे बिना किसी विलंब शुल्क के बकाया राशि जमा कर सकते हैं। यह स्कूलों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकें। हालांकि, इसके बाद की समय-सीमा के लिए बोर्ड ने जुर्माने का एक सख्त स्लैब तैयार किया है। ▪ शेष पेज 7 पर

Dainik Jagran 25-03-2026

शिक्षा बोर्ड ने खोला शार्ट फीस पोर्टल

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों की बकाया शार्ट फीस जमा करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों की स्कूल लाग इन आइडी पर फीस जमा करने का लिंक सक्रिय कर दिया गया है।

बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने यहां जारी बयान में कहा कि संस्थान 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के फीस जमा कर सकेंगे। फीस एक से 15 मई के बीच जमा की जाती है तो 1,000 रुपये प्रति कक्षा विलंब शुल्क देना होगा जबकि 16 से 31 मई के बीच यह राशि बढ़कर 2,000 रुपये प्रति कक्षा हो जाएगी। यदि कोई संस्थान 31 मई तक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो उसे 5,000 रुपये प्रति कक्षा विलंब शुल्क देना होगा। निर्धारित समयसारिणी के उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त दंड लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे तकनीकी अड़चनों का इंतजार किए बिना प्रक्रिया जल्द पूरी करें।

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने खोला शॉर्ट फीस का पोर्टल

◆ लापरवाही पर देना होगा मोटा जुर्माना, समयसारिणी चूके तो 5000 तक की चपत

अनंत ज्ञान

ब्यूरो, धर्मशाला। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों की बकाया शॉर्ट कैंडिडेट फीस जमा करने के लिए लिंक खोल दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों की स्कूल लॉगिन आईडी पर फीस जमा करने का लिंक सक्रिय कर दिया गया है।

बोर्ड का यह कदम वित्तीय विसंगतियों को दूर करने और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थानों के पास 30 अप्रैल तक का सुनहरा मौका है कि वे बिना किसी अतिरिक्त विलंब शुल्क के फीस जमा कर सकें। इसके बाद कैलेंडर के पन्ने पलटते ही जुर्माना भी बढ़ता जाएगा। यदि फीस 1 मई से 15 मई के बीच जमा की जाती है, तो 1000 प्रति कक्षा विलंब शुल्क देना होगा, जबकि 16 मई से 31 मई के बीच यह राशि बढ़कर 2000 प्रति कक्षा हो जाएगी। डॉ. राजेश शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि कोई संस्थान 31 मई तक भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, तो उसे 5000 प्रति कक्षा के भारी विलंब शुल्क का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, निर्धारित समयसारिणी के उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे तकनीकी अड़चनों का इंतजार किए बिना प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। सभी संबंधित संस्थानों को समय-सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए, ताकि छात्रों और संस्थानों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने संस्थानों को सलाह दी है कि वे अपने पोर्टल को नियमित रूप से चेक करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर फीस जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।

Himachal Dastak 25-03-2026

शिक्षा बोर्ड ने खोला शॉर्ट कैंडिडेट फीस का पोर्टल

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों की बकाया शॉर्ट कैंडिडेट फीस जमा करने के लिए लिंक खोल दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों की स्कूल लॉगिन आईडी पर फीस जमा करने का लिंक सक्रिय कर दिया है। बोर्ड का यह कदम वित्तीय विसंगतियों को दूर करने और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थानों के पास 30 अप्रैल तक का सुनहरा मौका है कि वे बिना किसी अतिरिक्त विलंब शुल्क के फीस जमा कर सकें। इसके बाद, कैलेंडर के पन्ने पलटते ही जुर्माना भी बता जाएगा। यदि फीस 1 मई से 15 मई के बीच जमा की जाती है, तो 1000 प्रति कक्षा विलंब शुल्क देना होगा, जबकि 16 मई से 31 मई के बीच यह राशि बढ़कर 2000 प्रति कक्षा हो जाएगी। यदि कोई संस्थान 31 मई तक भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, तो उसे 5000 प्रति कक्षा के भारी विलंब शुल्क का सामना करना पेगा। इतना ही नहीं, निर्धारित समय-सारिणी के उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे तकनीकी अचनों का इंतार किए बिना प्रक्रिया को जल्द पूरा करें।

Divya Himachal 25-03-2026

फीस जमा करवाने का अंतिम मौका

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों की बकाया शॉर्ट कैंडिडेट फीस जमा करने के लिए लिंक खोल दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि संस्थानों के पास 30 अप्रैल तक का सुनहरा मौका है कि वे बिना किसी अतिरिक्त विलंब शुल्क के फीस जमा कर सकें। यदि फीस पहली मई से 15 मई के बीच जमा की जाती है, तो 1000 प्रति कक्षा विलंब शुल्क देना होगा, जबकि 16 मई से 31 मई के बीच यह राशि बढ़कर 2000 प्रति कक्षा हो जाएगी। यदि संस्थान 31 मई तक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, तो उसे 5000 प्रति कक्षा के भारी विलंब शुल्क देने पड़ेगा।

Dev Bhoomi Mirror 25-03-2026

शॉर्ट फीस पर सख्ती: बोर्ड का अलर्ट, देरी की तो 5000 रूपये तक का झटका! '

देवभूमि मिरर/धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं से जुड़े परीक्षार्थियों की बकाया 'शॉर्ट कैंडिडेट' फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों की विद्यालय प्रवेश पहचान पर फीस जमा करने का विकल्प सक्रिय कर दिया गया है। इस कदम को परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और वित्तीय व्यवस्था सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, संस्थान 30 अप्रैल तक बिना किसी विलंब शुल्क

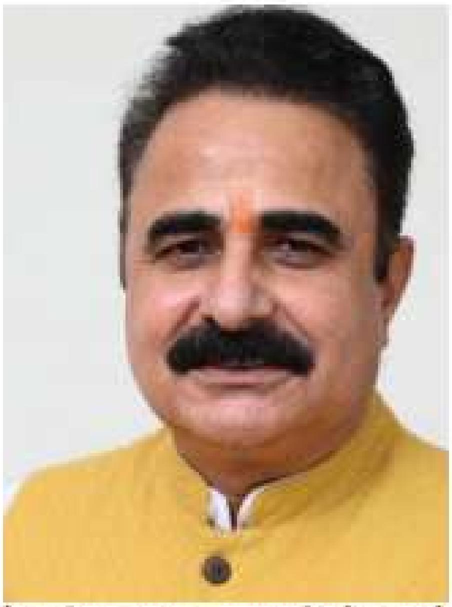

के फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद देरी होने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 1 मई से 15 मई तक फीस जमा करने पर प्रति कक्षा 1000 रूपये, जबकि 16 मई से 31 मई के बीच 2000 रूपये प्रति कक्षा विलंब शुल्क निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 31 मई के बाद फीस जमा करने पर प्रति कक्षा 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त कार्रवाई भी की जा सकती है। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे समयसीमा का पालन सुनिश्चित करें और अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचने के लिए अपनी प्रणाली को नियमित रूप से जांचते रहें। उन्होंने कहा कि समय पर प्रक्रिया पूरी करना छात्रों और संस्थानों दोनों के हित में है।

School Education Board Activates School Login ID Link for Exam Centers: Dr. Sharma

SANJAY AGGARWAL

DHARAMSHALA MAR 24 : The Himachal Pradesh Board of School Education has opened a link for the submission of pending 'Short Candidate' fees for examinees who appeared in the March 2026 examinations. Issuing an official statement in this regard, Board Chairman Dr. Rajesh Sharma announced that the link for fee submission has been activated on the school login IDs of all examination centers. This initiative by the Board is considered a significant step towards resolving financial discrepancies and enhancing the transparency of the examination process. According to the guidelines issued by the Board, institutions have a golden opportunity to deposit the fees by April 30 without incurring any additional late fees. Thereafter, as the calendar pages turn, the penalties will progressively increase. If the fees are deposited between May 1 and May 15, a late fee of ₹1,000 per class will be applicable; however, if deposited between May 16 and May 31, this amount will rise to ₹2,000 per class. Dr. Rajesh Sharma has issued a stern warning, stating that if any institution fails to fulfill its obligation even by May 31, it will face a hefty late fee of ₹5,000 per class. Furthermore, any violation of the prescribed schedule may result in the imposition of additional penalties by the competent authority. The Board has directed all schools to complete this process promptly, without waiting for any technical glitches to arise. In a press statement, the Board Chairman emphasized that all concerned institutions must strictly adhere to the stipulated deadline to avoid placing an unnecessary financial burden on both the students and the institutions themselves. He advised institutions to regularly check their respective portals and ensure the timely submission of fees in accordance with the prescribed procedure, thereby averting any potential administrative action in the future.

डिजिटल अखबार
पहली नजर
सबसे पहले, सबसे तेज
24 मार्च, 2026 www.pehalinazar.com pehalinazarhp@gmail.com
पहली नजर
आज की ताजा खबर देखते रहिए
डिजिटल न्यूज पेपर पहली नजर के साथ

बोर्ड परीक्षार्थी ध्यान दें! एचपीबीओएसई ने खोला 'शॉर्ट फीस' का पोर्टल, लापरवाही पर देना होगा मोटा जुर्माना

अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा की सख्त हिदायत : समय-सारिणी चूके तो 5000 रुपये तक की चपत

स्कूल लॉगिन पर लिंक हुआ एक्टिव

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2026 की परीक्षाओं में शामिल हुए परीक्षार्थियों की बकाया 'शॉर्ट कैंडिडेट' फीस जमा करने के लिए लिंक खोल दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों की स्कूल लॉगिन आईडी पर फीस जमा करने का लिंक सक्रिय कर दिया गया है। बोर्ड का यह कदम वित्तीय विसंगतियों को दूर करने और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

अप्रैल में भुगतान पर 'नो पेनल्टी', देरी पर बढ़ता जाएगा आर्थिक बोझ

बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संस्थानों के पास 30 अप्रैल तक का सुनहरा मौका है कि वे बिना किसी अतिरिक्त विलंब शुल्क के फीस जमा कर सकें। इसके बाद, कैलेंडर के पन्ने पलटते ही जुर्माना भी बढ़ता जाएगा। यदि फीस 01 मई से 15 मई के बीच जमा की जाती है, तो 1000 रुपये प्रति कक्षा विलंब शुल्क देना होगा, जबकि 16 मई से 31 मई के बीच यह राशि बढ़कर 2000 रुपये प्रति कक्षा हो जाएगी।

31 मई के बाद देना होगा 5000 का दंड, सक्षम प्राधिकारी लेंगे कड़ा फैसला

डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई संस्थान 31 मई तक भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, तो उसे 5000 रुपये प्रति कक्षा के भारी विलंब शुल्क का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, निर्धारित समय-सारिणी के उल्लंघन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त दंड भी लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वे तकनीकी अड़चनों का इंतजार किए बिना प्रक्रिया को जल्द पूरा करें।

संस्थानों को सख्त निर्देश : अनावश्यक दंड से बचें

बोर्ड अध्यक्ष ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि सभी संबंधित संस्थानों को समय-सीमा का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि छात्रों और संस्थानों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने संस्थानों को सलाह दी है कि वे अपने पोर्टल को नियमित रूप से चेक करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर फीस जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके।

The Sunny Times

HPBOSE HITS THE 'PAY' BUTTON: CLEAR YOUR DUES OR FACE THE WRATH OF HEAVY FINES!

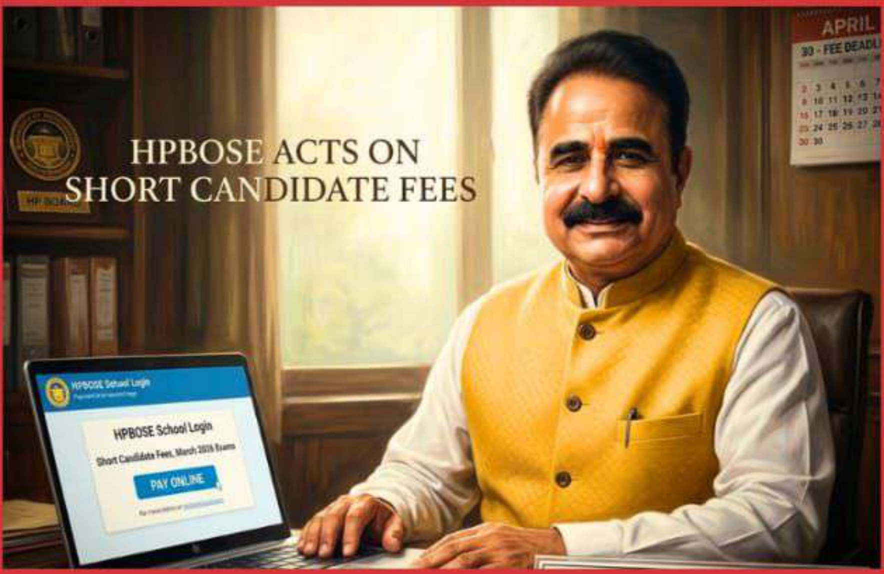

Remit all outstanding fees by April 30 to enjoy a zero-penalty status and ensure a smooth sailing examination process.

Sunny Mahajan | Dharamshala

In a decisive move to streamline financial operations and bolster transparency within the examination process, the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) has officially activated an online facility for the deposition of outstanding 'Short Candidate' fees pertaining to the March 2026 examinations. Announcing the rollout, Board Chairman Dr. Rajesh Sharma confirmed that the payment link is now live via the School Login IDs for all designated examination centers.

The Board has established a clear roadmap for institutions to settle these dues, emphasizing that procrastination is the thief of time. Schools and affiliated institutions have been granted a window until April 30 to remit the fees without incurring any late charges. This grace period serves as a vital opportunity for administrators to put their houses in order before the financial implications of delay take effect.

However, for those who fail to meet the initial deadline, the Board has introduced a tiered structure of late fees. Forewarned is forearmed; institutions depositing fees between May 1 and May 15 will be liable for a late fee of ₹1,000 per class. This penalty doubles to ₹2,000 per class for payments made between May 16 and May 31. The stakes rise significantly thereafter, as any submission following the May 31 cutoff will attract a hefty fine of ₹5,000 per class, alongside potential disciplinary action by competent authorities.

Dr. Rajesh Sharma underscored that these measures are not merely punitive but are intended to instill a culture of fiscal discipline. He noted that an ounce of prevention is worth a pound of cure, urging school heads to regularly monitor their portals to avoid placing an unnecessary economic burden on their institutions. By ensuring that "all ducks are in a row" regarding financial documentation, schools can safeguard the interests of their students and maintain the integrity of the academic cycle.

भास्कर एक्सक्लूसिव स्कूल शिक्षा बोर्ड की किताबों में बुक सेलर्स कर रहे **गड़बड़झाला**

किताबों में 'कवर गेम', जिल्द लगाकर ₹100 वाली 130 में

जोगेंद्र शर्मा/ रितेश चौहान | शिमला/सरकाघाट

• किताबों पर गत्ता और प्लास्टिक कवर लगाकर बढ़ाई कीमत

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों से किताबों के प्रिंट रेट से ज्यादा पैसे लेने का मामला सामने आया है। जहां एक ओर शिक्षा बोर्ड ने तय किया हुआ है कि प्रिंट रेट से ज्यादा किताबें नहीं बेच सकते। वहीं, कुछ बुक सेलर्स मनमर्जी से किताबों में कवर लगाकर उसे बेच रहे हैं। कवर के बदले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से 30 रुपए प्रति किताब लिए जा रहे हैं। जिला मंडी के सरकाघाट में इस तरह का मामला सामने आया है। शिमला में भी कुछ अभिभावकों ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शिकायत की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस मामले में जांच बिठा दी है। अभिभावकों का कहना है कि कुछ बुक सेलर्स कवर के नाम पर पैसे ले रहे हैं। वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर किताबें दी जा रही हैं, जबकि नियमानुसार किसी भी पुस्तक को उसके निर्धारित मूल्य से अधिक पर नहीं बेचा जा सकता।

बोर्ड की किताबों पर प्रिंट रेट से ऊपर चार्ज नहीं किए जा सकते है और न ही किसी भी प्रकार का कवर या गत्ता लगाया जा सकता है। मंडी रीजन से शिकायतें मिली है कि कुछ विक्रेताओं द्वारा किताबों को कवर लगा कर बेचा जा रहा है। 30 से 40 रुपए वसूले जा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है। विभाग औचक निरीक्षण करेगा अगर शिकायतें सही पाएगी तो कानूनी कार्रवाई के अलावा पुस्तक विक्रेता का लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा।

–मेजर विशाल शर्मा, सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला

स्कूल शिक्षा बोर्ड की किताबों में कवर लगाकर बुक सेलर्स इन्हें अभिभावकों को महंगी बेच रहे हैं।

• यहां समझिए **पूरा खेल**

दरअसल, स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए किताबें जारी की है। ये किताबें बुक सेलर्स के पास उपलब्ध हैं। नियमों के तहत किताबों में जो प्रिंट रेट हैं, उससे ज्यादा इन्हें नहीं बेचा जा सकता है। अब बुक सेलर्स इसी में खेल कर रहे हैं। अपनी मर्जी से ही बुक सेलर्स किताबों में गत्ते के या फिर प्लास्टिक के कवर लगा रहे हैं। इसमें इनका महज 5 से 10 रुपए खर्च आता है। जबकि कवर लगी इन किताबों को बुक सेलर्स अभिभावकों को 30 रुपए में बेच रहे हैं। यानि कि अगर किसी किताब का प्रिंट रेट 100 रुपए हैं तो इसे 130 रुपए में दिया जा रहा है। यानि की अगर दो किताबें लेनी है तो 260 रुपए की पड़ेगी। जिससे अभिभावकों को 200 की जगह 60 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। वहीं, कुछ बुक सेलर्स ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें 10 फीसदी ही कमीशन मिलती है। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में कवर लगाए जा रहे हैं। इससे भी कुछ खास कमाई नहीं होती है।

प्रदेश में करीब 893 प्राइवेट स्कूलों को मान्यता

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या हर साल बदलती रहती है, क्योंकि नए स्कूलों को संबद्धता दी जाती है और कुछ की मान्यता समाप्त भी हो जाती है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश में करीब 893 निजी स्कूलों को बोर्ड से मान्यता दी गई है। आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला निजी स्कूलों की संख्या में सबसे आगे है, जहां लगभग 200 स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसके बाद शिमला और मंडी जिलों में 100 से अधिक निजी स्कूल हैं। वहीं सोलन, ऊना और हमीरपुर में भी अच्छी संख्या में निजी स्कूल मौजूद हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग 15300 है।

• सरकारी स्कूलों में फ्री, निजी में खरीदनी पड़ती हैं

सरकारी स्कूलों में किताबें फ्री में दी जाती है। जबकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को ये किताबें बाजार से बुक सेलर्स से खरीदनी पड़ती है। ऐसे में नियम तय किए गए है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जो प्रिंट रेट किताबों के तय किए गए हैं, उससे ज्यादा रेट पर इसे नहीं बेचा जा सकता है। यही नहीं अपनी तरफ से बुक सेलर्स इसमें कवर भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में बुक सेलर्स इन नियमों की अवहेलना कर रहे रहे हैं।

भास्कर एक्सपर्ट

प्रो. आरएल जिंटा, प्रोफेसर व शिक्षाविद्, एचपी यूनिवर्सिटी

मनमानी ठीक नहीं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, नियम बराबर होने चाहिए

किताबों को लेकर बुक सेलर्स की मनमानी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो सकती। शिक्षा एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पारदर्शिता और समानता बेहद जरूरी है। चाहे निजी स्कूल हों या सरकारी, किताबों की बिक्री और वितरण के नियम सभी के लिए एक समान होने चाहिए। शिक्षा बोर्ड अगर किताबें उपलब्ध करा रही है तो उन पर अतिरिक्त शुल्क लेना या कवर के नाम पर पैसे वसूलना पूरी तरह गलत है। इससे अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के लिए लगाई शिक्षकों की ड्यूटी

पहली बार शिक्षा बोर्ड ने खुद ड्यूटियां न लगा विभाग को सौंपा जिम्मा, 41 केंद्रों में होगा मूल्यांकन

अमर उजाला ब्यूरो

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणामों को रिकॉर्ड समय में घोषित करने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की ड्यूटियां बोर्ड खुद लगाने के बजाय शिक्षा विभाग के माध्यम से लगवा रहा है। बोर्ड के इतिहास में यह पहली बार है जब प्रदेश भर के उपनिदेशकों को शिक्षकों की तैनाती का जिम्मा सौंपा गया है।

पिछले वर्षों तक बोर्ड मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगता था। अक्सर पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं मिलते थे या आवेदन करने वाले शिक्षक कार्य में रुचि नहीं दिखाते थे। इस सुस्ती के कारण परिणाम घोषित करने में देरी होती थी।

> इस बार 10वीं और 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई हैं। कार्य अप्रैल में शुरू होगा और फिलहाल कोडिंग (एफआरए) का काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इस बार रिकॉर्ड समय में परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएं।
>
> **-डॉ. मेजर विशाल शर्मा, सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला**

अब सीधे विभाग द्वारा ड्यूटियां तय करने से स्टाफ की कमी नहीं रहेगी और प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। बोर्ड ने उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में 41 केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में उत्तरपुस्तिकाओं पर एफआरए (कोडिंग) नंबर लगाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। कोडिंग पूरी होते ही अप्रैल माह में कॉपियों की जांच का काम शुरू कर दिया जाएगा।

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी

धर्मशाला। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एकलव्य मॉडल रेंजिडेंशियल स्कूल में प्रवेश के लिए 29 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहुल स्पीति में 10 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड के पास कुल 959 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।

इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 25 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस दौरान संबंधित अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर अपना आवेदन नंबर और जन्मतिथि डाल कर प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो

दसवीं कक्षा के वर्ष दर वर्ष बढ़ते जा रहे पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के आवेदन

अमर उजाला ब्यूरो

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास वर्ष दर वर्ष पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के आवेदनों में वृद्धि हो रही है। स्थिति यह है कि वर्ष 2023 में तीन हजार, 2024 में 10 हजार और 2025 में 17 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा में दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली शुरू कर रहा है, जिससे इन आवेदनों में कमी दर्ज की जा सकती है।

इस बार शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली की नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत 10वीं कक्षा के जिन छात्रों के दो विषयों में कम अंक आएंगे, वे जून में दोबारा परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार कर सकेंगे। इसके चलते शिक्षा बोर्ड के पास इस बार पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए कम आवेदन आने की उम्मीद है।

2023 में 3 हजार, 2024 में 10 हजार 2025 में 17 हजार ने किया था आवेदन

अब दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली के शुरु होने के बाद घट सकते हैं आवेदन

पिछले तीन वर्षों में आवेदनों में वृद्धि हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ड्यूल एग्जाम व्यवस्था लागू होने से इस वर्ष ऐसे आवेदनों में कमी आ सकती है।

- मेजर विशाल शर्मा, सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड

Divya Himachal 25-03-2026

एकलव्य परीक्षा 29 को दस केंद्रों में होगा एग्जाम

धर्मशाला। स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि एकलव्य परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 29 मार्च को किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश भर में दस परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में तीन एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल चंबा, लाहुल-स्पीति और किन्नौर में हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की तरह ही एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रदेश में केंद्रीय जनजातिय मामले मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो कि विशेष तरह के विद्यालय हैं।